

सेवा में,

प्रभारी, वित्त एवं लेखा,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
परिवेश भवन, दिल्ली - 110032

विषय: त्यौहार अग्रिम हेतु आवेदन - पत्र

महोदय,

वित्त मंत्रालय के दिनांक 07.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12(1)/ई-II (ए)/2008 के संदर्भ में, मैं 3750/-रूपये (तीन हजार सात सौ पचास रूपये मात्र) त्यौहार अग्रिम लेना चाहता/चाहती हूँ। कृपया उक्त राशि की स्वीकृति प्रदान करें। त्यौहार अग्रिम की पात्रता 4800/-रूपये के ग्रेड वेतन तक के कर्मचारियों के लिए देय है। त्यौहार अग्रिम नियम 53 एवं 58 में संशोधित राशि उल्लिखित है। किशतों की संख्या 10 होगी जिसकी 375/-रूपये प्रतिमाह की दर से कटौती की जाएगी इससे संबंधित विवरण निम्न प्रकार है:-

01. नाम :
02. पदनाम :
03. ग्रेड वेतन :
04. कर्मचारी संख्या :
05. मांगी गयी अग्रिम धनराशि : तीन हजार सात सौ पचास रूपये
06. त्यौहार जिसके लिए अग्रिम चाहिए :
07. किशतों की संख्या : दस (375/-रूपये प्रतिमाह)
08. क्या आप स्थाई/स्थायीवत/अस्थायी कर्मचारी हैं ? :
09. क्या चालू वर्ष में या उससे पहले ली गई किसी अग्रिम में से कुछ राशि चुकानी बाकी है ? :

भवदीय,

()

दिनांक :

सी.पी.नं.

बैंक खाता संख्या.....

टिप्पणी: कृपया त्यौहार अग्रिम के लिए 15 दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य है।